प्रमुख घटनाएं और उपलब्धियां
(नवंबर, 2016)

*****

1. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने "स्वास्थ्य देखभाल को डिजीटल बनाते हुए" विषय पर 14-27 नवंबर, 2016 को प्रगति मैदान में 36वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) में भाग लिया था। गैर-संचारी रोगों नामतः मधुमेह, कैंसर और दातों की जांच के लिए प्रगति मैदान में सात (7) "स्वच्छ चेतना" स्टाल लगाए गए।
2. भारत द्वारा ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश (दिल्ली एनसीआर) में 7 से 12 नवंबर, 2016 के दौरान तंबाकू नियंत्रण पर डब्ल्यूएचओ फ्रेमवर्क सम्मेलन (डब्ल्यूएचओ एफसीटीसी) में कांफ्रेंस आफ द पार्टिज (सीओपी7) का सातवां सत्र आयोजित किया गया। इसमें 1300 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों ने भाग लिया। सीओपी7 द्वारा 31 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिनमें सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को सीओपी ब्यूरो का अगला अध्यक्ष निर्वाचित करना शामिल था।
3. मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में 30 नवंबर, 2016 को 7वां भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। इस दिवस के समारोह के भाग के रूप में 27 नवंबर, 2016 को इंडिया गेट से जनपथ तक एक वाकाथन का आयोजन किया गया जिसके बाद निर्माण भवन, नई दिल्ली में शपथ दिलाई गई।
4. दिनांक 4 नवंबर, 2016 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) को राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया गया।
5. "परिवार नियोजन में पुरूष भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर राष्ट्रीय कार्यशाला" का 16 नवंबर, 2016 को नई दिल्ली में आयोजन किया गया।
6. आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के दिशानिर्देशों के अनुसार, गैर-पशु वैकल्पिक जांच द्वारा प्रारंभिक त्वचा और नेत्र संबंधी विषाक्त अध्ययनों के लिए दिनांक 04.11.2016 की अधिसूचना जीएसआर 1041 (ई) द्वारा औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 की अनुसूची 'वाई' में संशोधन किया गया है।
7. स्वेदशी एलर्जेन उत्पादों के विनियमन और नियंत्रण के लिए मार्गदर्शी दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया है और यह एनआईबी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
8. सुगम, जो केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के लिए ई-शासन समाधान है, को कंप्यूटर सोसायटी आफ इंडिया द्वारा वर्ष 2016 के लिए "परियोजना" की श्रेणी में उत्कृष्ट पुरस्कार के लिए चुना गया है।
9. मंत्रिमंडल ने फार्मास्यूटिकल उत्पाद विनियम के क्षेत्र में सहयोग हेतु ब्राजील स्वास्थ्य निगरानी एजेंसी (एएनवीआईएसए), ब्राजील और केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, भारत के बीच समझौता-ज्ञापन हस्ताक्षर करने के लिए अनुमोदन दे दिया है।
10. 12 स्वास्थ्य सम्बंधित कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया गया है।
11. बंगलुरू में दिनांक 15-16 नवंबर, 2016 को स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) पर द्वितीय क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

12. सीजीएचएस के अंतर्गत रेफरल प्रणाली और चिकित्सा प्रतिपूर्ति से संबंधित अधिकतम सीमा दर 2 लाख रुपये से बढाकर 5 लाख रुपये तक कर दिया गया है। इसके लिए विभागाध्यक्षों के अधिकार सीमा को आईएफडी के परामर्श के बिना यथोचित बढ़ाने का आदेश जारी हुआ है ।

******